रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032021-225702
CG-DL-E-06032021-225702

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110]	**नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 4, 2021/फाल्गुन 13, 1942**
No. 110]	**NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 4, 2021/PHALGUNA 13, 1942**

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2021

सा.का.नि. 151(अ)**.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और, (I) भारतीय खान ब्यूरो, (वर्ग iii अननुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 1965, जहां तक उसका संबंध ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन) के पद से है, (II) खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, कनिष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2007 (III) खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, प्रधान रसायनज्ञ भर्ती नियम, 2014 (IV) खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, (अधीक्षण रसायनज्ञ, ज्येष्ठ रसायनज्ञ, रसायनज्ञ, और सहायक रसायनज्ञ) भर्ती नियम, 2015, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो में प्रधान रसायनज्ञ, अधीक्षण रसायनज्ञ, ज्येष्ठ रसायनज्ञ, रसायनज्ञ और सहायक रसायनज्ञ के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन कर निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो (समूह 'क' और 'ख' पद) और (प्रधान रसायनज्ञ, अधीक्षण रसायनज्ञ, ज्येष्ठ रसायनज्ञ, रसायनज्ञ और सहायक रसायनज्ञ) भर्ती नियम 2021 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना-** ये नियम इन नियमों से उपाबध्द अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे जुडे वेतन मैट्रिक्स में वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि —उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता —वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6.शिथिल करने की शक्ति — जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदों का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है या अचयन पद।	सीधे भर्ती के लिए आयु – सीमा।	सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित, शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. प्रधान रसायनज्ञ	1* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर – 13 (123100 - 215900 रू.)	चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 12 (78800 - 209200 रू.) में ऐसे अधीक्षण रसायनज्ञ जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्षों की नियमित सेवा पूरी की हों तथा जिन्होंने भारतीय खान ब्यूरो या किसी अन्य मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित 'अयस्कों और खनिजों का विश्लेषण' के क्षेत्र में दो सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हों। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया

जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा सहित भी है) :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थाओ या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी; (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 12 (78800 - 209200 रू.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों। **आवश्यक:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायनशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री। (ii) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग या अयस्कों और खनिजों से रासायनिक विश्लेषण करने वाले ऐसे सरकारी संगठन द्वारा अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला में अयस्कों और खनिजों के रसायनिक विश्लेषण में बारह वर्षों का अनुभव। **वांछनीय :** मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायनशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि। **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होंगी । **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; (2) निदेशक (अयस्क प्रसाधन), भारतीय खान ब्यूरो – सदस्य; (3) संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय - सदस्य ।	किसी प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर अधिकारी की नियुक्ति करते समय, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. अधीक्षण रसायनज्ञ	3*(2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर – 12 (78800 - 209200 रू.)	चयन पद ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) ।

(11)

प्रोन्नति :

वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 11 (67700 - 208700 रू.) में ऐसे ज्येष्ठ रसायनज्ञ जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्षों की नियमित सेवा पूरी की हों तथा जिन्होंने भारतीय खान ब्यूरो या किसी अन्य मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित 'अयस्कों और खनिजों का विश्लेषण' के क्षेत्र में दो सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हों ।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा ओक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर की हो ।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा सहित भी है) :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थाओ या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी;

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 11 (67700 - 208700 रू.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्षों की सेवा की हो; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों।

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायनशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री।

(ii) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग या अयस्कों और खनिजों रासायनिक विश्लेषण करने वाले ऐसे किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला में अयस्कों और खनिजों के रसायनिक विश्लेषण में दस वर्षों का अनुभव।

वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायनशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 : जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होंगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - **अध्यक्ष;** (2) संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय - **सदस्य;** (3) मुख्य अयस्क प्रसाधन अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो – **सदस्य।**	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. ज्येष्ठ रसायनज्ञ	6* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	स्तर – 11 (67700 - 208700 रू.)	चयन पद।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा।

(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 10 (56100 - 177500 रू.) में ऐसे रसायनज्ञ जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्षों की नियमित सेवा पूरी की हों तथा जिन्होंने भारतीय खान ब्यूरो या किसी अन्य मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित 'अयस्कों और खनिजों का विश्लेषण' के क्षेत्र में दो सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, वे अगली से उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (1) संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय **- अध्यक्ष;** (2) मुख्य अयस्क प्रसाधन अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो **- सदस्य;** (3) निदेशक, खान मंत्रालय **- सदस्य।**	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. रसायनज्ञ	18* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर–10 (56100-177500 रू.)	चयन पद।	35 वर्ष से अधिक आयु नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यार्थियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण** : आयु -	**आवश्यक :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायनशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री। (ii) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग या अयस्कों और खनिजों से रसायनिक विश्लेषण करने वाले ऐसे सरकारी संगठन द्वारा अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में मान्यताप्राप्त

					सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापित की जाए।	प्रयोगशाला में अयस्कों और खनिजों के रसायनिक विश्लेषण में तीन वर्षों का अनुभव। **वांछनीय :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायनशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि। **टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के पर्याप्त संस्था में उपलब्ध संख्या की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
आयु - लागू नहीं होता । शैक्षणिक अर्हताएं – लागू नहीं होता ।	एक वर्ष ।	(i) साठ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा । (ii) चालीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 07 (44900 - 142400 रू.) में ऐसे सहायक रसायनज्ञ जिन्होंन नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्षों की नियमित सेवा पूरी की हों तथा जिन्होंने भारतीय खान ब्यूरो या किसी अन्य मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित 'अयस्कों और खनिजों का विश्लेषण' के क्षेत्र में चार सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हों । **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; (2) निदेशक, खान मंत्रालय - सदस्य; (3) अधीक्षण अधिकारी (अयस्क प्रसाधन), भारतीय खान ब्यूरो - सदस्य। **समूह "क" विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-** (1) अधीक्षण अधिकारी (अयस्क प्रसाधन) भारतीय खान ब्यूरो - **अध्यक्ष;** (2) ज्येष्ठ रसायनज्ञ, भारतीय खान ब्यूरो **- सदस्य;** (3) ज्येष्ठ खनन भूविज्ञानी, भारतीय खान ब्यूरो **- सदस्य।**	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. सहायक रसायनज्ञ	30* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर–7 (44900-142400 रू.)	चयन पद।	30 वर्ष से अधिक आयु नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यार्थियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण :** आयु - सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापित की जाए।	**आवश्यक :** **(i)** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से रसायनशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री। **(ii)** वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग या अयस्कों और खनिजों से रासायनिक विश्लेषण करने वाले ऐसे सरकारी संगठन द्वारा अनुसंधान प्रयोगशाला से रूप में मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में अयस्कों और खनिजों के रसायनिक विश्लेषण में दो वर्षों का अनुभव। **टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
आयु : लागू नहीं शैक्षिक अर्हता: लागू नहीं लेकिन विषयों में से एक के रूप में रसायनशास्त्र के साथ विज्ञान डिग्री होनी चाहिए।	सीधी भर्ती दो वर्ष के लिए।	(i) सीधी भर्ती द्वारा 65 प्रतिशत (ii) प्रोन्नति द्वारा 35 प्रतिशत जिसके नहीं होने पर सीधी भर्ती द्वारा.

(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 06 (35400-112400 रू.) में ऐसे कनिष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन) जिन्होंन नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्षों की नियमित सेवा पूरी की हों तथा जिन्होंने भारतीय खान ब्यूरो या किसी अन्य मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित 'अयस्कों और खनिजों का विश्लेषण' के क्षेत्र में चार सप्ताह का सेवाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हों । **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (1) अधीक्षण अधिकारी (अयस्क प्रसाधन), भारतीय खान ब्यूरो **- अध्यक्ष;** (2) अधीक्षण रसायनज्ञ, भारतीय खान ब्यूरो **- सदस्य;** (3) प्रादेशिक खनन भूविज्ञानी, भारतीय खान ब्यूरो **- सदस्य।** **समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** (1) अधीक्षण अधिकारी (अयस्क प्रसाधन), भारतीय खान ब्यूरो **- अध्यक्ष;** (2) ज्येष्ठ रसायनज्ञ, भारतीय खान ब्यूरो **- सदस्य;** (3) ज्येष्ठ खनन भूविज्ञानी, भारतीय खान ब्यूरो **- सदस्य।**	सीधी भर्ती के आधार पर पद को भरने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 22/6/2018-एम.III]

संजय लोहिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2021

G.S.R. 151(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of (i) the Indian Bureau of Mines, (Class III Non- Ministerial posts) Recruitment Rules, 1965, in so far as it relates to the post of Senior Technical Assistant (Chemistry), (ii) the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Junior Technical Assistant (Chemistry), Group "C" Post Recruitment Rules, 2007 (iii) the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Chief Chemist Recruitment Rules, 2014 (iv) the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines (Superintending Chemist, Senior Chemist, Chemist and Assistant Chemist) Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Chief Chemist, Superintending Chemist, Senior Chemist, Chemist and Assistant Chemist, in Indian Bureau of Mines, Ministry of Mines, namely:-—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Mines, Indian Bureau of Mines, Chief Chemist, Superintending Chemist, Senior Chemist, Chemist and Assistant Chemist (Group 'A' and 'B' Posts) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.- These rules shall apply to the posts of specified as in column (1) of the Schedule annexed to these rule.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of the said posts, their classifications and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age- limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Chief Chemist.	1(2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non Ministerial Gazetted, Group 'A'.	Level-13 (Rs.123100-215900).	Selections post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation (including short term contract).

In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption grades from which promotion or deputation / absorption to be made.

(11)
Promotion: Superintending Chemist in level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) with five years' regular service rendered in the grade after appointment thereto and have successfully completed two weeks of in-service training in the field of 'Analysis of Ores and Minerals' conducted by Indian Bureau of Mines or any other recognised Training Institute. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or public sector undertakings or recognised research institutions or Universities or semi Government or statutory or autonomous organisations; (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualification and experience. **Essential :** (i) Master's degree in Chemistry from a recognised University or institution; (ii) Twelve years' experience in chemical analysis of ores and minerals in a laboratory recognised as a Research Laboratory by Council of Scientific and Industrial Research or Department of Science and Technology or any other such government organisation carrying out chemical analysis of ores and minerals. **Desirable:** Doctorate degree in chemistry from a recognised University. **Note1**: The Departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation in another Ex- cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty- six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Chairman or Member , Union Public Service Commission- Chairman; (2) Director (Ore Dressing), Indian Bureau of Mines-Member; (3) Joint Secretary, Ministry of Mines-Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Superintending Chemist.	3*(2021) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Ministerial, Gazetted, Group 'A'.	Level-12 (Rs.78800-209200).	Selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation (including short term contract).

11)
Promotion: Senior Chemist in level-11in the pay matrix (Rs.67700-208700) with five years' regular service rendered in the grade after appointment thereto and have successfully completed two weeks of in-service training in the field of 'Analysis of Ores and Minerals' conducted by Indian Bureau of Mines or any other recognised Training Institute. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or public sector undertakings or recognised research institutions or Universities or semi Government or statutory or autonomous organisations; (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-11in the pay matrix (67700-208700) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualification and experience. **Essential :** (i) Master's degree in Chemistry from a recognised University or institution. (ii) Ten years' experience in chemical analysis of ores and minerals in a laboratory recognised as a Research Laboratory by Council of Scientific and Industrial Research or Department of Science and Technology or any other such government organisation carrying out chemical analysis of ores and mineral. **Desirable:** Doctorate degree in chemistry from a recognised University. **Note1**: The Departmental Officers in the feeder grade who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of Deputation in another Ex- cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty- six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Chairman/member- Union Public Service Commission – Chairman; (2) Joint Secretary, Ministry of Mines –Member; (3) Chief Ore Dressing Officer, Indian Bureau of Mines – Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Senior Chemist.	6*(2021) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Ministerial Gazetted, Group- 'A'.	Level-11 (Rs.67700-208700).	Selection post.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

(11)
Promotion: Chemist in level-10 in the pay matrix (Rs.56100-177500) with five years' regular service rendered in the grade after appointment thereto and have successfully completed two weeks of in-service training in the field of 'Analysis of Ores and Minerals' conducted by Indian Bureau of Mines or any other recognised Training Institute. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Joint Secretary, Ministry of Mines – Chairman; (2) Chief Ore Dressing Officer, Indian Bureau of Mines – Member; (3) Director, Ministry of Mines – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Chemist	18*(2021) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Ministerial Gazetted, Group- 'A'.	Level-10 (Rs.56100-177500).	Selection post.	Not exceeding thirty-five years of age. (Relaxable for departmental candidates up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

					Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Master's degree in Chemistry from a recognised University or institution; (ii) three years' experience in chemical analysis of ores and minerals from a laboratory recognised as a Research Laboratory by Council of Scientific and Industrial Research or Department of Science and Technology or any other such government organisation carrying out chemical analysis of ores and minerals. **Desirable**: Doctorate in Chemistry from a recognised University or institution. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Age-No. Educational qualifications-No.	One Year.	(i) Sixty per cent. by promotion. (ii) Forty per cent. by direct recruitment.

(11)
Promotion: Assistant Chemist in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with three years' regular service rendered in the grade after appointment thereto and have successfully completed four weeks of in-service training in the field of 'Analysis of Ores and Minerals' conducted by Indian Bureau of Mines or any other recognised Training Institute. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Chairman or Member- Union Public Service Commission – Chairman; (2) Director, Ministry of Mines – Member; (3) Superintending Officer (Ore Dressing), Indian Bureau of Mines – Member. **Group- 'A' Departmental Confirmation Committee**: **(for considering confirmation) consisting of:-** (1) Superintending Ore Dressing Officer, Indian Bureau of Mines– Chairman; (2) Senior Chemist, Indian Bureau of Mines – Member; (3) Senior Mining Geologist, Indian Bureau of Mines – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Assistant Chemist.	30*(2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non-Ministerial Gazetted, Group - 'B'.	Level-7 (Rs.44900-142400).	Selection post.	Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (1) Master's degree in Chemistry from a recognised University or institution. (2)Two years' experience in chemical analysis of ores and minerals from a laboratory recognised as a Research Laboratory by Council of Scientific and Industrial Research or Department of Science and Technology or any other such Government organisation carrying out chemical analysis of ores and minerals. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for the reasons to be regarded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Age: No Educational Qualification: No but must possess degree in science with chemistry as one of the subjects.	Two years for direct recruitment.	(i) 65 per cent. by direct recruitment. (ii) 35 per cent. by promotion failing which direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Junior Technical Assistant (Chemistry) in level 6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service rendered in the grade after appointment thereto and have successfully completed four weeks of in-service training in the field of Analysis of Ores and Minerals conducted by Indian Bureau of Mines or any other recognised training institute.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** (1) Superintending Officer (Ore Dressing), Indian Bureau of Mines– Chairman; (2) Superintending Chemist, Indian Bureau of Mines – Member;	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for filling up the post on direct recruitment basis.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	(3) Regional Mining Geologist, Indian Bureau of Mines – Member. **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (1) Superintending Officer (Ore Dressing), Indian Bureau of Mines – Chairman; (2) Senior Chemist, Indian Bureau of Mines – Member; (3) Senior Mining Geologist, Indian Bureau of Mines – Member.	

[F. No. 22/6/2018-M.III]

SANJAY LOHIYA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.06 17:07:58 +05'30'